161

<u>प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-5-1989 में सदस्यों/अधिकारी की</u>

1- श्री एस०एस०पांगती, आयुक्त/अध्यक्ष --

2- श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० ---

3- ~~श्री विभापुरी~~, जिलाधिकारी, देहरादून --- सदस्य

4- श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी --- सदस्य

5- श्री विष्णुस्वरूप, विशेष सचिव, नगर विकास-----सदस्य
उ०प्र०शासन, लखनऊ ।

6- पी. के. पांडे अधिशासी अभियन्ता जलनिगम देहरादून

7- महेन्द्र कुमार अधिशासी अभियन्ता

8- जलनिगम देहरादून

9- [illegible], सहायक अभियन्ता [illegible]

10- श्याम कृष्ण, विशेष कार्याधिकारी (वित्त), उ.प्र.

11- के एन [illegible], जिला उद्योग केन्द्र देह०

12- के एल साह सहा. निदेशक परिवहन [illegible]
प्रतिनिधि निदेशक परिवहन उत्तराखण्ड

13- डा० सुनील सैनी, विशेष [illegible]

14. एच. के. [illegible] सहायक अभियन्ता
ला. नि. वि. प्रा. खण्ड देहरादून

न विकास
र्थ प्रस्तुत

(161)

आयुक्त/अध्यक्ष महोदय

दिनांक: 15.5.89 को मसूरी में हुयी मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्य वृत्त सम्मुख पृष्ठ पर आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संयुक्त सचिव 18.5.89

उपाध्यक्ष। 18.5.89

मसूरी-देहरादन विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.5.89 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति:-

उपस्थिति:-

1- श्री एस0एस0पांगती	आयुक्त/अध्यक्ष
2- श्री प्रताप सिंह,	उपाध्यक्ष
3- श्री विष्णुस्वरूप, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन,	सदस्य
4- श्री श्याम कृष्ण, विशेष कार्याधिकारी उ0प्र0 शासन, वित्त विभाग, लखनऊ।	सदस्य,
5- श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी	सदस्य
6- श्री एम0ए0खान, अपर जिलाधिकारी (प्र0) देहरादून ।	प्रतिनिधि सदस्य
7- श्री पी0के0पाँडे, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, देहरादून ।	प्रतिनिधि सदस्य
8- श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, देहरादून।	प्रतिनिधि सदस्य
9- श्री के0एन0कोठियाल, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून ।	प्रतिनिधि सदस्य
10-श्री के0एल0शाह, सहायक निदेशक, पर्यटन मसूरी	प्रतिनिधि सदस्य

अन्य उपस्थिति:-

1- डा0सुनील सैनी/विशेष आमंत्रित

2- श्री आर0के0पाठक, सहायक अभियन्ता, गढ़वाल जल संस्थान, मसूरी।

3- श्री एच0के0सोनी, सहायक अभियन्ता, सा0नि0वि0प्र0खण्ड, देहरादून।

4-श्री डी0एस0मनराल, संयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्र0, देहरादून।

(165)

विषय क्रमांक:- 1:-

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.4.89 की कार्यवाही बैठक में पढ़ी गयी और उसकी पुष्टि की गयी तथा पुष्टि स्वरूप अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर किये गये।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.2.89 व दिनांक 7.4.89 की अनुपालन आख्या बैठक में प्रस्तुत की गयी।

मसूरी में कैम्पटी रोड़ पर सैवाय होटल के नीचे पार्किंग स्थल विकसित करने के लिये अधिगृहित की गयी भूमि के अलावा अन्य वैकल्पिक स्थान चयन करने के लिये अध्यक्ष नगरपालिका मसूरी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट बैठक में पढ़ी गयी जिसमें समिति ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि सैवाय होटल के नीचे अधिग्रहित की गयी भूमि के अलावा अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। सैवाय होटल के प्रबन्ध निदेशक द्वारा तीन वैकल्पिक स्थानों का सुझाव दिया गया और उनके फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये जिन पर विचार किया गया। पहला स्थान सैवाय होटल व रेवरा होटल के बीच में है। यह स्थल एक खड्ड के रूप में है और यह कार पार्किंग के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया। दूसरा स्थान कैम्पटी रोड़ पर कम्पनी बाग को जाने वाले हार्डबर्जन पर है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह के ऊपर है। यह स्थल भी उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि यह कैम्पटी रोड़ से दूर है और यहां पर कम्पनी बाग व रक्सी की ओर जाने वाले वाहनों की काफी भीड़ रहती है और यह सड़क बहुत चौड़ी भी नहीं है। तीसरा स्थल वर्तमान फायर स्टेशन के समीप एक समतल स्थल बताया गया परन्तु यह स्थल पार्किंग स्पेश के लिये उपयुक्त नहीं है और फायर स्टेशन के निकट स्थित होने के कारण भी गाड़ियों का यहां खड़ा होना उपयुक्त नहीं होगा। इसके अलावा इस स्थल को पुलिस विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही बहुत पहले से ~~ही~~ ~~चली आ~~ चल रही है।

अत: सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि सैवाय होटल के नीचे जो भूमि अधिग्रहित की गयी है वहां पर पार्किंग स्थल विकसित किया जाय और इस भूमि के अधिग्रहण को निरस्त न किया जाय। शासन को तदनुसार उत्तर भेजा जाये।
(कार्यवाही प्रमुख सचिव)

हुसैन गंज में आवासीय योजना हेतु विकसित की जाने वाली भूमि का कन्टूर मानचित्र बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसमें पेड़ों की स्थिति को भी दर्शाया गया है। पहले 17 एकड़ भूमि में से केवल एक तिहाई भूमि को ही आवासीय योजना हेतु उपयुक्त पाया गया था जो पूर्णत: वृक्ष विहीन था परन्तु

(167)

आज मानचित्र का अवलोकन करने के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि आवासीय योजना हेतु क्षेत्र बढ़ाया जाय और जहाँ-जहाँ 5 मीटर के लम्बे टेरेसेस 2 मीटर से 1 मीटर का ड्राप देते हुये निकल रहे हैं वहाँ आवासीय योजना बनायी जाय परन्तु पेड़ों का बचाया जाय। तदनुसार लगभग 12 एकड़ भूमि में आवासीय योजना बनायी जा सकती है। यह निर्देश दिये गये कि तदनुसार उन स्थलों को मानचित्र में दर्शा दिया जाय जहाँ आवासीय योजना हेतु निर्माण हो सकता है और ऐसे क्षेत्रों को स्थल पर भी चिन्हित किया जाय और तदनुसार इस भूमि का एक ले-आउट तैयार किया जाय जिसमें अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) व मध्यम आय वर्ग (एम0आई0जी0) के भवनों तथा मध्यम आय वर्ग व उच्च आय वर्ग के प्लाटों की रूपरेखा सुनिश्चित की जाय और इसी ले-आउट के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाय।

(कार्यवाही सचिव ...)

विषय क्रमांक:-2:-

वर्ष 1988-89 के मानचित्र निस्तारण एवं वाद निस्तारण की प्रगति विवरण :-

01.4.88 से 31.3.89 तक भवन मानचित्रों व अनधिकृत वादों के निस्तारण की प्रगति का अवलोकन किया गया और उसे संतोषप्रद पाया गया परन्तु साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में प्रगति विवरण में यह भी अंकित किया जाय कि एक माह व दो माह व तीन माह से अधिक पुराने कितने मामले हैं और सबसे पुराने तीन मामलों का विवरण भी दिया जाय।

(कार्यवाही सम्पत्ति अधीक्षक)

अनधिकृत वादों के विवरण में यह भी दिखाया जाय कि जो वाद निस्तारित हुये उनमें कितने मामलों को प्रशमनित किया गया, कितने मामलों में निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश पारित किये गये व कितने मामलों को अन्य प्रकार से निस्तारित किया गया और कितने मामलों में अपील दायर हुयी है।

(कार्यवाही सम्पत्ति अधीक्षक)

स्वीकृत मानचित्रों की अधिक संख्या को देखते हुये अधीक्षण अभियंता जल निगम ने यह प्रश्न उठाया कि देहरादून व मसूरी में पेय जल की कमी को देखते हुये ग्रीष्म कालीन मौसम में भवनों के निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जाना आवश्यक है। अध्यक्ष नगरपालिका मसूरी ने भी यह सुझाव दिया कि मसूरी में देहरादून की अपेक्षा पेय जल की समस्या बहुत गम्भीर है और इसलिये ग्रीष्म ऋतु में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये। उन्होंने इस बात पर चिन्ता

प्रकट-की

प्रकट की कि गढ़वाल जल संस्थान होटलों और बड़े-बड़े व्यावसायिक काम्पलैक्सों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देते आ रहे हैं और उन्होंने नये पेय जल कनैक्शन भी स्वीकृत कर दिये हैं जबकि एक बार पहले यह निर्णय लिया जा चुका है कि 15 अप्रैल से 15 जौलाई की अवधि में कोई नये पेय जल कनैक्शन नहीं दिये जायेंगे और निर्माण के लिये जो पेय जल कनैक्शन पहले से दिये गये हैं उन्हें भी इस अवधि में डिस कनैक्ट कर दिया जायेगा। उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने यह अवगत कराया कि अनधिकृत निर्माणों जिनमें कि निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश भी हो गये है, को भी पेय जल कनैक्शन दिये गये हैं। अध्यक्ष नगरपालिका मसूरी ने यह भी अवगत कराया कि डोमैस्टिक कनैक्शन के पानी का उपयोग नये व्यावसायिक निर्माणों में भी किया जा रहा है जो किजल संस्थान के साथ किये गये अनुबन्ध का उल्लंघन है। इस मामले में पूर्ण विस्तार और गहराई से विचार करने के उपरान्त सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1-देहरादून।

15 जौलाई, 1989 से 15 जौलाई, 1989 तक निर्माणों के लिये दिये गये समस्त कनैक्शनों को डिस कनैक्ट कर दिया जाय और 15 जौलाई, 1989 के बाद उन्हें फिर से चालू करने के लिये उपयुक्त मामलों में उस समय की पेय जल की स्थिति को देखते हुये विचार किया जाय।

2-किसी भी व्यावसायिक निर्माण को तब तक पानी का नया कनैक्शन न दिया जाय जब तक कि वह विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, के जिला कार्यालय से सराय एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन, नगरपालिका से भवन मूल्यांकन व अग्नि शमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लें।

3-जो निर्माण अनधिकृत निर्माण की श्रेणी में आ जाता है और जिसमें बिना स्वीकृति के या स्वीकृति से भिन्न निर्माण के कारण उसे ध्वस्त करने के आदेश हो जाते हैं, ऐसे जिन मामलों में जो पेय जल कनैक्शन दिया गया है उन्हें काट दिया जाना चाहिये और नया कनैक्शन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

4-मसूरी में इन्द्रप्रस्थ बिल्डर्स द्वारा निर्मित हनीमून होटल को पेय जल कनैक्शन न दिया जाय और वर्तमान पेय जल कनैक्शन काट दिया जाय क्योंकि इस निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश हो रखे हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है

5-ग्रीष्म काल में निर्माण के लिये टैंकर्स से भी पानी लाने की
[अनु]मति न दी जाय क्योंकि यह टैकर्स जिन स्थानों से पानी लाते है, वहां से
[पा]नी लाने के कारण पेय जल की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जहां
[क]हीं भी टैकर्स से पानी का उपयोग होना पाया जाय वहां इसका प्रयोग तुरन्त
[रो]क दिया जाय।

6-घरेलू प्रयोग के लिये दिये गये पेय जल कनैक्शन का प्रयोग व्यावसायिक
[रू]प में या उसका प्रयोग किसी नव निर्माण में पाये जाने पर इस पेय जल
कनैक्शन को भी काट दिया जाय।

7-मसूरी में इस समय जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें पेय जल
संयोजनों को 15 जौलाई, 1989 तक के लिये विच्छेद कर दिया जाय।

देहरादून।

देहरादून शहर में भी 15 अप्रैल, 1989 से 15 जौलाई, 1989 तक होटलों व व्यावसायिक संस्थानों को नव निर्माण के लिये पानी न दिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि यहां स्वीमिंग पूल और टब बाथ आदि में पानी का फालतू उपयोग न हो। इस अवधि में नैये निर्माणों को भी पेय जल कनैक्शन न दिया जाय।

सर्व-सम्मति से यह भी निर्णय हुआ कि जल संस्थान प्राधिकरण को अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजने से पहले जल निगम से भी परामर्श करेंगे और इस बात का उल्लेख अनापत्ति प्रमाण पत्र में करेंगे। तथा यह भी स्पष्ट करेंगे कि नया पेयजल कनैक्शन देने से वर्तमान पेयजल व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

।कार्यवाही जल संस्थान/जल निगम।

विषय क्रमांक:-3/-

सहस्त्रधारा के क्षेत्र में दर्शनार्थियों के आगमन पर टोल टैक्स लगाया जाना।

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सहस्त्रधारा क्षेत्र में पर्यटक काफी संख्या में आ रहें हैं और उनको और अधिक आकृषित करने के लिये वहां शासन द्वारा स्वीकृत अनटाईड फण्ड के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण की कुछ योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, सर्व-सम्मति से इस बात पर सहमति हुयी कि सहस्त्रधारा क्षेत्र में जाने वाले दर्शनार्थियों पर निम्नलिखित शर्तों के साथ टोल

टैक्स लिया जाय ताकि इस टोल टैक्स से होने वाली आय को उन योजनाओं के रख-रखाव पर लगाया जा सके जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1- जो लोग पैदल या साईकिल या सिटी बस व्यवस्था से यात्रा करते हैं, उनसे यह टोल टैक्स न लिया जाय क्योंकि ये लोग मुख्यत: इस क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं।

2- मोटर, बस, ट्रक, टैक्सी, कार, स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड, जीप जौंगा, स्टेशन बैगन आदि तथा ईंधन से चलने वाली दुपहिया वाहनों या तिपहिया वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों तथा कन्डक्टेड टूर्स के अन्तर्गत आने वाले यात्रियों पर एक रुपया प्रति यात्री की दर से टोल टैक्स लिया जायेगा।

3- अग्नि शमन, कानून व्यवस्था, आपत कालीन चिकित्सा, दैवी आपत्तियों आदि कार्यों से सम्बन्धित ड्यूटी पर जाने वाले व्यक्तियों से अथवा ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों से जिन्हें उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष स्थिति के लिये अनुमति प्रदान कर दी गयी हो, टोल टैक्स नहीं लिया जायेगा।

सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि उ0प्र0 नगर नियोजन एवम् विकास अधिनियम की धारा-39-ए के अन्तर्गत शासन से टोल टैक्स लेने की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

यह भी निर्देश दिये गये कि शासन से विज्ञप्ति जारी होने के उपरान्त जब टोल टैक्स लगना शुरू हो जायेगा तो टोल टैक्स लगाने की तिथि से प्रत्येक 6 माह का लेखा-जोखा प्राधिकरण के समक्ष भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाय।

॥कार्यवाही सचिव॥

इसी संदर्भ में सहस्त्रधारा में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, लैण्ड स्केपिंग आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किये गये सौन्दीकरण योजना को सर्व-सम्मति से सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी और इस योजना को अच्छा पाया गया क्योंकि इस योजना के क्रिन्यावयन से जहां एक ओर सहस्त्रधारा के सौन्दीयकरण में बृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर वर्तमान भौगोलिक व प्राकृतिक स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। चूँकि सौन्दीयकरण के लिये उपलब्ध धनराशि केवल 4.00 लाख रूपये है अत: प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गयी :-

1- नदी के दोनो ओर पैदल मार्ग का निर्माण
2- प्रस्तावित रौक गार्डन से झाडियों को साफ कर स्थल विकसित करना।
3- नदी के दोनों ओर पिकनिंग स्पौट का विकास
4- रौक गार्डन से आग नदी के दोनों ओर पिकनिंग स्पौट तक जाने के लिये लकड़ी के पुल का निर्माण।

5- नदी में विभिन्न स्थानों पर पत्थरों को एकट्ठा कर पानी को रोक कर नहाने के लिये उपयुक्त स्थलों का विकास

6- वर्षा ऋतु से पूर्व वृक्षारोपण करने के लिये गड्ढा खोदना।

विषय क्रमांक:-4:-

मसूरी की महायोजना पर विचार।

दून एक्सप्रेस 10 घण्टे देर से आने के कारण लखनऊ से मुख्य नगर नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि तथा पर्यावरण निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। सहयुक्त नियोजक भी बैठक में उपस्थित नहीं थे। अतः मसूरी की महायोजना की प्राधिकरण की पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधन किये जाने की कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में इस विषय पर विचार अगली बैठक तक के लिये स्थगित किया गया।

॥कार्यवाही सहयुक्त नियोजक॥

विषय क्रमांक:-5:-

कुनयोक सेम्फ द्वारा सहस्त्रधारा में प्रस्तावित रेस्टोरेण्ट तथा रिक्रेशन भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सहस्त्रधारा में गढ़वाल मण्डल विकास निगम का रेस्टोरेण्ट व विश्राम गृह है और प्राईवेट दूकानें भी है जिनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है व इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सहस्त्रधारा का पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्व है, सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि यहाँ पर जो रेस्टोरेण्ट व मनोरंजन भवन प्रस्तावित है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और मनोरंजन व पिकनिक के लिये अधिक से अधिक स्थान खुला रखना जरूरी है। तदनुसार मानचित्र को स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी।

॥कार्यवाही सचिव॥

अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिये गये कि वे यह सुनिश्चित करें कि सहस्त्रधारा में प्राईवेट दूकानों की संख्या न बढ़े। गाँवसभा द्वारा जिन व्यक्तियों को पिछले साल तक पट्टे / दिये गये थे दूकानों की संख्या वहीं तक

सीमित रखी जाय और अब आगे पट्टे न दिये जायें।

सहस्त्रधारा में प्रस्तावित सौन्दीयकरण योजना के क्रियान्वयन में जो दूकानें आ रही है उनको पर्यटक विश्राम गृह की खाली भूमि में सिफ्ट किया जाय और यहां प्राधिकरण द्वारा दूकानों का निर्माण किया जाय जो उन व्यक्तियों को आवंटित की जायेगी जो सौन्दीयकरण योजना के क्रियान्वयन से प्रभावित हो रहे हैं।

विषय क्रमांक:-6:-

विकास शुल्क की दरों में पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्योंकि आज की बैठक में मुख्य नगर एवम् ग्राम नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि तथा कुछ अन्य सदस्य उपस्थित नहीं थे अत: इस विषय पर विचार अगली बैठक तक के लिये स्थगित किया गया।

विषय क्रमांक:-7:-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आर्किटेक्ट कन्सलटेण्ट/सुपरवाईजरर्स की नियुक्ति।

प्राधिकरण द्वारा हुडको से प्राप्त ऋण के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रहीं योजनाओं की समीक्षा की गयी। इसके उपरान्त सर्व-सम्मति से यह सहमति प्रकट की गयी कि इन योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन होने के लिये यह आवश्यक है कि किसी आर्किटेक्ट कन्सलटेण्ट द्वारा इनका सुपरवीजन होता रहे क्योंकि प्राधिकरण का नियोजन तथा अभियंत्रण खण्ड अभी पूर्णत: सशक्त नहीं है। अत: सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि हुडको से ऋण प्राप्त करने के लिये ले-आऊट, डिजायन व योजना तैयार करने के लिये भी आर्किटेक्चरल कन्सलटेण्ट का पैनल बना लिया जाय परन्तु उनका कार्य ऋण स्वीकृति तक ही सीमित नहीं होना चाहिये बल्कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान भी उनकी निगरानी आवश्यक है। अत: तदनुसार सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि तकनीकी दृष्टि से दक्ष व अनुभवी आर्कीटेक्ट्स के औफर प्राप्त कर उनमें से तीन आर्कीटेक्ट्स का एक पैनल बना लिया जाय और इस पैनल में सम्मिलित आर्कीटेक्ट्स कन्सलटेण्ट को योजना, ले-आऊट आदि बनाने का कार्य दिया जाय। आर्कीटेक्ट कन्सलेटेन्ट

से अनुबन्ध करते समय यह स्पष्ट कर दिया जाय कि प्रत्येक सप्ताह वे कार्य स्थल पर कितनी बार निरीक्षण करेंगे। यह भी निर्देश दिये गये कि पैनल का चयन करते समय नगर नियोजक की भी राय प्राप्त कर ली जाय और इस पैनेल का अनुमोदन अगली बैठक में ले लिया जाय।

विषय क्रमांक:-8:-

प्राधिकरण की सड़कों के निर्माण/मरम्मत आदि के लिये एक रोड़ रोलन तथा पानी के टैंकर के क्रय की स्वीकृति।

यह देखते हुये कि प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क से प्राप्त आय के अन्तर्गत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों/नालियों/पार्किंग स्थल आदि का निर्माण कार्य किया जाता है, इस बात पर सर्व-सम्मति से सहमति हुयी कि प्राधिकरण के पास अपना एक रोड़ रोलर होना आवश्यक है परन्तु पानी के टैंकर्स का क्रय अभी आवश्यक नहीं है। जहाँ तक रोड रोलर का प्रश्न है, यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा अभी तक किये गये विकास कार्यों में सड़कों की कुल लम्बाई व उन पर रोड रोलर के ऊपर हुये खर्च का विवरण तथा प्रस्तावित सड़कों के निर्माण का विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। इसके साथ ही यह विवरण भी प्रस्तुत किया जाय कि रोड़ रोलर के क्रय करने, उसके चलाने के लिये स्टाफ व उसके रखरखाव पर कितनी धनराशी व्यय होगी तथा यह विवरण अब तक हुये कार्यों में प्राईवेट रोड रोलर की व्यवस्था पर हुये व्यय से कितना अधिक या कम है।

विषय क्रमांक:-9:-

प्राधिक...

...द, देहरादून।

में रखतेहुये ...

पर ...

से अनुबन्ध करते समय यह स्पष्ट कर दिया जाय कि प्रत्येक सप्ताह वे कार्य स्थल पर कितनी बार निरीक्षण करेंगे। यह भी निर्देश दिये गये कि पैनल का चयन करते समय ~~xxxxxxx~~ नगर नियोजक की भी राय प्राप्त कर ली जाय और इस पैनेल का अनुमोदन अगली बैठक में ले लिया जाय।

विषय क्रमांक:-8:-

प्राधिकरण की सड़कों के निर्माण/मरम्मत आदि के लिये एक रोड़ रोलन तथा पानी के टैंकर के क्रय की स्वीकृति ।

यह देखते हुये कि प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क से प्राप्त आय के अन्तर्गत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों/नालियों/पार्किंग स्थल आदि का निर्माण कार्य किया जाता है, इस बात पर सर्व-सम्मति से सहमति हुयी कि प्राधिकरण के पास अपना एक रोड़ रोलर होना आवश्यक है परन्तु पानी के टैंकर्स का क्रय अभी आवश्यक नहीं है। जहां तक रोड रोलर का प्रश्न है, यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा अभी तक किये गये विकास कार्यों में सड़कों की कुल लम्बाई व उन पर रोड रोलर के ऊपर हुये खर्च का विवरण तथा प्रस्तावित सड़कों के निर्माण का विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। इसके साथ ही यह विवरण भी प्रस्तुत किया जाय कि रोड़ रोलर के क्रय करने, उसके चलाने के लिये स्टाफ व उसके रखरखाव पर कितनी धनराशी व्यय होगी तथा यह विवरण अब तक हुये कार्यों में प्राईवेट रोड रोलर की व्यवस्था पर हुये व्यय से कितना अधिक या कम है।

विषय क्रमांक:-9:-

प्राधिकरण में इलैक्ट्रीशियन के पद का सृजन ।

प्राधिकरण कार्यालय व प्राधिकरण की अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखतेहुये सर्व-सम्मति से एक इलैक्ट्रीशियन के पद का सृजन वेतनमान रू0 340-550/- पर किया गया।

विषय क्रमांक:-10:-

मसूरी में नगरपालिका मसूरी तथा ईको टास्क फोर्स की सहायता से घोबीघाट के पास पर्यटन की दृष्टि से झील का निर्माण ।

घोबी घाट के पास सड़क के नीचे प्राकृतिक छटा से पूर्ण स्थल को मनोरंजन व पिकनिंग स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सर्व-सम्मति से निम्न विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी:-

1-झील का निर्माण	4.30 लाख रु0
2-रेस्त्रां व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	1.01 लाख रु0
3-हवाघर का निर्माण	0.26 लाख रु0
4-विद्युतीकरण पर व्यय	1.25 लाख रु0

झील के निर्माण के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि इसमें जो फाटक लगाया जायेगा उसका डिजायन रूड़की में सिंचाई विभाग की प्रयोग-शाला में तैयार कराया जाय और झील की सतह पर कंकरीट के मिश्रण पर लगातार निगरानी रखी जाय।

अध्यक्ष नगरपालिका मसूरी ने बताया कि नगरपालिका में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है कि इस स्थल का नगरपालिका ईको टास्क फोर्स व प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य किया जायेगा जिसमें झील, रेस्त्रां, सार्वजनिक शौचालय, हवाघर, विद्युतीकरण, बेन्चों आदि का निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। उन्होंने इस बात पर भी सहमति प्रकट की कि रेस्त्रां को नीलामी द्वारा या किसी अन्य व्यवस्था से चलाने से जो आय होगी उसका आधा भाग प्राधिकरण को दिया जायेगा परन्तु यदि इसमें कोई घाटा होगा तो उस घाटे का अंश प्राधिकरण के ऊपर नहीं डाला जायेगा।

बैठक के उपरान्त अपरान्ह में नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, विशेष सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास विभाग, विशेष कार्य अधिकारी उ0प्र0 शासन वित्त विभाग ने इस स्थल पर जाकर विभिन्न प्रस्तावित कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की और इस बात पर सहमति प्रकट की कि इस स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये यह कार्य आवश्यक है।

विषय क्रमांकः।।:-

मसूरी टूरिस्ट काम्पलैक्स में आवासीय भवनों का निर्माण ।

यह देखते हुये कि जिस स्थल पर टूरिस्ट काम्पलैक्स के स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण प्रस्तावित है वह माल रोड़ व टूरिस्ट काम्पलैक्स के कमरों से बहुत नीचे है और इस निर्माण से दूनघाटी का दृश्य प्रभावित नहीं होता है और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस स्थल पर टूरिस्ट काम्पलैक्स के निर्माण के दौरान राज्य निर्माण निगम के कर्मचारियों के भवन बन गये थे, जो इस समय खण्डहर है, इस स्थल पर टूरिस्ट काम्लैक्स के स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण की ~~के लिये~~ सर्व-सम्मति से सहमति प्रकट की गयी और यह निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण की उप-विधियों को ध्यान में रखते हुये दे दी जाय।

विषय क्रमांकः-12:-

कृषि मण्डी समिति देहरादून में पूर्व स्वीकृत नीलाम चबूतरे में दूकानों के निर्माण व प्रस्तावित नये नीलाम चबूतरे के निर्माण की स्वीकृति के विषय में विचार।

सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि यह मण्डी समिति एक मानचित्र प्रस्तुत करे जिसमें उस स्थल को दिखाया जाय जहां पहले नीलामी चबूतरा बनना था परन्तु दुकानें बना ली गयी है और उस स्थल को भी दिखाया जाय जहां नीलामी चबूतरा बनना प्रस्तावित है और यहभी दिखाया जाय कि पूर्व प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार इस स्थल का क्या उपयोग था। तदुपरान्त अगली बैठक में इस विषय पर निर्णय लिया जायेगा।

अनुपूरक विषय क्रमांकः-।:- ग्राम गंगा लखोन सहस्त्रधारा रोड़ में स्थित 1.092 एकड़ भूमि निर्बल वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों में आवासीय भवनों व प्लाटों के आवंटन हेतु आवसी बार्ता द्वारा क्रय करने का विचार।-

सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही के बजाय निजी बार्ता से भूमि को क्रय करना उपयुक्त रहेगा। परन्तु निजी बार्ता से भूमि क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस दर पर भू-स्वामी प्राधिकरण को भूमि बेचने के लिये तैयार है

वह दर इस क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन हेतु प्रचलित दर से कम है। ।यह जानकारी भूमि अध्याप्ति अधिकारी और रजिस्ट्रार ऑफिस से प्राप्त कर ली जाय। यह सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अध्यक्ष महोदय का निर्णय प्राप्त कर लिया जाय।

विविध:-

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यमुना वैली कर्मचारी को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत ले-आऊट की पत्रावली प्रस्तुत की गयी। यह बताया गया कि यह ले-आऊट इस आधार पर अस्वीकृत किया जा चुका है क्योंकि इस भूमि का भू-उपयोग महायोजना में सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों के लिये निर्धारित है। इसी संदर्भ में अपर जिलाधिकारी प्र0 ने बताया कि हरिद्वार रोड़ पर रिस्पना नदी के दूसरी ओर अजबपुर गांव में राज्य सरकार की काफी भूमि खाली पड़ी हुयी है जिसके एक भाग में जिला विकास अधिकारी कार्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसी जगह पर सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों के भवनों का भी निर्माण हो सकता है और ऐसी स्थिति में कांवली रोड़ पर जो भूमि सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों के लिये निर्धारित की गयी है उसका भूउपयोग बदलकर आवासीय किया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी ।प्र0। को निर्देश दिये गये कि वे अजबपुर गांव में स्थिति भूमि का पूरा विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध करा दें और जिला विकास अधिकारी कार्यालय के लिये प्रस्तावित ~~किये गये~~ मानचित्र की भी प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

।कार्यवाही अपर जिलाधिकारी प्रशासन।

।डी0एस0मनराल।
संयुक्त सचिव

।प्रताप सिंह।
उपाध्यक्ष,

।एस0एस0पांगती।
आयुक्त/अध्यक्ष,

सूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।